[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **01** /201**9**- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **4** जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मिथाइलीन क्लोराइड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मई, 2014, जिसे सा.का.नि. 347(अ), दिनांक 21 मई, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/15/2018-डीजीएडी, दिनांक 03 मई, 2018, जिसे दिनांक 03 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7/15/2018-डीजीएडी, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 जिसे दिनांक 22 नवम्बर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) विषयगत देश से संबंधित उत्पाद का निरंतर भारी मात्रा में उत्पाद हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(ii) प्रतिपाटन शुल्क के बिना मूल्य को कम करना सकारात्मक और महत्वपूर्ण होगा;

(iii) प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग के आर्थिक क्रियाकलाप में गिरावट आई है । इस जांच अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग में उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता और आरओसीई **(**ROCE**)** जैसे आर्थिक प्रतिमानों की दृष्टि से प्रगति नकारात्मक रही है । यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है;

(iv) यदि प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रश्नगत उत्पाद का फालतू आयात जारी रह सकता है/और अधिक भी हो सकता है;

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, **20** और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम 10 में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पाद का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	मैसर्स अकेजो नोबेल इंडस्ट्रियल केमिकल्स बी.बी. नीदरलैंड्स	मैसर्स अकेजो नोबेल इंडस्ट्रियल केमिकल्स बी.बी. नीदरलैंड्स	0.32	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
2	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	क्र.सं. 1 के संयोजन से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक या निर्यातक	क्र.सं. 1 के संयोजन से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक या निर्यातक	0.36	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
3	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	विषयगत देश से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	0.36	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
4	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	0.36	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
5	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	कोई भी	0.33	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर

6	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	विषयगत देश से भिन्न कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	कोई भी	0.33	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर
7	2903 12	डायक्लोरो मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	0.33	कि.ग्रा.	अमे.डॉलर

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/199/2013 –टीआरयू (पार्ट-II)]

((डॉ श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार